(ख) क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत निर्मित आवासों को कागजों पर पूर्ण दिखाया गया है और उनके निर्माण के समय लाभार्थियों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा गया है; और

(ग) इन अनियमितताओं के प्रकाश में आने पर सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापु येरन्नायडु): (क) से (ग) "इन्दिरा आवास योजना" के कार्यान्वयन में कुछ कमियों/अनियमितताओं के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई करने और मंत्रालय को रिपोर्ट देने के लिए राज्य सरकार के पास भेज दी गई है।

इन्दिरा आवास योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है कि आवासों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए। इन्दिरा आवास योजना के आवासों के निर्माण में किसी ठेकेदार को नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। निर्माण के तरीके, डिजाइन और भवन निर्माण सामग्री के चयन के बारे में लाभार्थियों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है।

Career profile in the Armed Forces

*209. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the career profile in the Armed Forces is becoming less attractive;

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto;

(c) whether Government propose to appoint any commission to review the career opportunities in the Armed Forces; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MULAYAM SINGH YADAV): (a) to (d) Judging by the number of applicants for vacancies at the induction level, it cannot be said that a career in the Armed Forces is becoming less attractive. Therefore, Government do not consider it necessary at present to appoint a Commission to review the career opportunities in the Armed Forces.

कुल्लू में अवेरी नामक स्थान पर छावनी की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण

*210. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में अवेरी नामक स्थान पर छावनी की स्थापना करने हेतु अधिगृहीत की जाने वाली भूमि की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या अधिग्रहण कार्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और किसानों को कुल कितना मुआवजा दिया गया तथा अधिगृहीत की गई सरकारी भूमि का कुल क्षेत्र कितना है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): (क) से (ग) शिमला जिले के कुमसू गांव में राज्य सरकार की 133 बीघा 12 बिस्वा (29 एकड़) भूमि का कब्जा 9 सितंबर, 1994 के पहले ही लिया जा चुका है। अवेरी गांव में 1,256 बीघा 14 बिस्वा (273.54 एकड़) निजी भूमि का अर्जन अंतिम चरण में है। निजी भूमि के मालिकों को भुगतान किए जाने के लिए कुल्लू के उपर्युक्त के पास 1.95 करोड़ रुपए की राशि 26 नवंबर, 96 को जमा करा दी गई है। राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9 के अधीन कार्यवाही पूरी न किए जाने के कारण भूमि मालिकों को भुगतान नहीं किया गया है।

भारतीय थल सेना में सैनिकों की भर्ती

*211. **श्री एस० एस० अहलुवालिया**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि थल सेना में सैनिकों की भर्ती राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्य-वार की जाती है;